न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 829/1/2008 विरूद्व आदेश दिनांक 08–07–2008 पारित व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर –प्रकरण कमांक 88/2005–06 अ–19 निगरानी

राजेन्द्र मिश्रा पुत्र परमानंद मिश्रा
ग्राम घूघसी तहसील निवाड़ी
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ——— आवेदक

विरूद्व

रमेश प्रसाद पुत्र रामफल यादव
(मृतक वारिसान)
1–श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि स्व. रमेशप्रसाद
2–नत्थू पुत्र स्व. रमेश प्रसाद
3–कु. नीतू पुत्री स्व. रमेश प्रसाद
4–कु. सीतू पुत्री स्व. रमेश प्रसाद
सभी निवासी साकिन ग्राम घूघसी तहसील निवाड़ी
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा एंव श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 21–7–2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 88 अ 19/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08–07–2008 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार निवाड़ी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम घूघसी स्थित भूमि सर्वे कमांक 283 रकबा 2.000 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर वह लगभग 20—25 वर्षो के पूर्व से काबिजहोकर खेती करता आ रहा है भूमिहीन कृषि श्रमिक होने से इस भूमि का व्यवस्थापन किया जावे। तहसीलदार निवाड़ी ने प्रकरण कमांक 68/अ—19/2001—02 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30.4.2002 पारित करके वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अजुद्दी अहिरवार पुत्र आशाराम अहिरवार एंव रमेश प्रसाद यादव पुत्र रामफल यादव ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी कमांक 47/2005—05 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 26.12.2005 पारित किया तथा निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व रमेश प्रसाद यादव ने आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 88/अ—19/2005—06 में पारित आदेश दिनांक 08—07—2008 से निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार निवाड़ी का आदेश दिनांक 30.4.2002 तथा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 26.12.2005 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि यह सही है कि आवेदक ने तहसीलदार निवाड़ी के समक्ष म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम , 1984 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम घूघसी स्थित भूमि सर्वे कमांक 283/1 रकबा 2.000 हैक्टर पर 1984 के पूर्व से कब्जा चले आने व खेती करते आने के आधार पर व्यवस्थापन की मांग की है, जिस पर तहसीलदार निवाड़ी ने प्रथम आर्डरशीट दिनांक 01.01.2002 लिखकर ग्रामीणों को एंव आम

नागरिकों को सूचनार्थ प्रारूप 'बी' नियम 4 के अंतर्गत इस्तहार दिनांक 1.1.02 जारी कराया है। तहसीलदार निवाड़ी ने स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में ग्राम घूघसी के निवासी भजनलाल चमार आयु 60 वर्ष , वृजकिशोर यादव पूर्व सरपंच के कथन लिये हैं इन कथनों में अंकित है कि वह आवेदक को भूमि सर्वे कमांक 283/1 पर पिछले 20–25 वर्षो से कब्जा किये हुये खेती करते देखते चले आ रहे है जबकि एंव इसी भूमि से आवेदक के परिवार का भरण पोषण होता है। आयुक्त सागर संभाग ने आदेश दिनांक 8–7–08 के पद 6 में निष्कर्ष निकाला है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा नहीं है और न ही आवेदक ने कब्जा अंकित होने का अभिलेख प्रस्तुत किया है, जबकि ग्रामीण स्वतंत्र साक्षी आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 2001 में दिये गये कथनों में 20–25 वर्षो से कब्जा चले आना एंव काविज होकर खेती करते चले आते देखना बता रहे हैं तब लगभग वर्ष 2001 से 25 वर्ष पूर्व यानि 1976 से आवेदक का कब्जा होना साक्षीगण के कथनों से परिलक्षित है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य होना नहीं माना है तहसील न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 20 पर वादग्रस्त भूमि के खसरा सन 1974–75 लगायत 1978–79 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न है जिसके कालम नंबर 12 लगायत 19 में प्रत्येक वर्ष में आवेदक का कब्जा होकर फसल बोना अंकित है। यही स्थिति खसरा सन 1980–81 से 1983–84 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि (तहसील न्यायालय के प्रकरण का पृष्ठ 22–23 पर संलग्न) में है इसके वाद भी आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण में आये तथ्यों की अनदेखी करते हुये वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1984 से न होना मानने में भूल की है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि हलका पटवारी ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके की जांच कर प्रतिवेदन दिया है जिसमें आवेदक का कब्जा होना बताया गया है । अनावेदकगण के अभिभाषक ने पटवारी प्रतिवेदन को मनगढ़न्त होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की है। दोनों अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार निवाड़ी के प्रकरण कमांक 68/अ–19/2001–02 में पृष्ठ 11 पर संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन पर पाया गया कि हलका पटवारी ने व्यवस्थापन रिपोर्ट के सरल कमांक 2 में इस प्रकार अंकित किया है – " **आवेदित भूमि पर कब्जा कब से किसका है – वर्ष 1974–75 से देवेन्द्र कुमार त0**

परमानन्द निवासी घूघसी खास " – पटवारी व्दारा आगे के कालम्स में आवेदक के परिवार का विवरण दिया है कि आवेदक के पिता के नाम 0.732 हैक्टर भूमि है किन्तु आवेदक छै भाई हैं जो अलग हैं। स्पष्ट है कि आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में होकर ग्राम घूघसी निवासी कृषि श्रमिक की श्रेणी में है। पटवारी ने प्रतिवेदन के पद 18 में लिखा है कि आवेदक को भूमि दी जाना ठीक है और आवेदक की पात्रता को देखते हुये तथा वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1974–75 से कब्जा प्रमाणित होने के कारण तहसीलदार ने पात्रता निर्धारित कर भूमि का व्यवस्थापन किया है तथा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने इन्हीं कारणों पर विचार कर तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30–4–2002 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है परन्तु आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत अर्थ निकालकर वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1984 से न होना मानते हुये तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 23.12.2002 को निरस्त करने में त्रृटि की है।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक ने कब्जे के कार्यकाल से वादग्रस्त भूमि को मेहनत करके उबड़ खावड़ से कृषि योग्य बनाया है तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि पर 1974–75 से आवेदक का कब्जा प्रमाणित होने एंव भूमिहीन कृषि श्रमिक होना प्रमाणित के आधार पर भूमि व्यवस्थापित की है। आवेदक ने उन्नत कृषि के उद्वेश्य से एंव अधिक पैदावार लेने के लिये सिंचाई के साधन स्वरूप टयूव वैल लगाकर धन व श्रम व्यय किया है तथा इसी भूमि पर वह वर्ष 2002 से रहवासी मकान बनाये हुये है, यदि आवेदक की भूमि वापिस ले ली गई तो उसके सामने परिवार के पालन–पोषण की तथा रहवास की समस्या खड़ी हो जावेगी। यदि आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जावे – इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0 शासन 2009 राजस्व निर्णय 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती – क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियां की गई है – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के लिये पात्र भूमिहीन बंटिती को आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। परन्तु निगरानी प्रकरण में आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण में आये तथ्यों एंव न्यायिक दृष्टांतों की अनदेखी करते हुये अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के एंव तहसीलदार निवाड़ी के आदेश

दिनांक 30.4.2002 के विधिवत् होते हुये भी निरस्त करने की भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 08 जुलाई 2008 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 88 अ-19 /2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08 जुलाई 2008 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है । परिणामतः तहसीलदार निवाड़ी द्वारा प्रकरण कमांक 68/अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2002 तथा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा निगरानी कमांक 47/2005-05 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2005 स्थिर रहने से ग्राम घूघसी स्थित भूमि सर्वे कमांक 283/1 रकबा 2.000 हैक्टर भूमि आवेदक के नाम शासकीय अभिलेख में पूर्ववत् दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर